



Committed to  
professional excellence

# IIBF VISION

खंड संख्या 15

अंक संख्या 04

नवम्बर, 2022

पृष्ठों की संख्या - 9

## विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

## मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।



## इस अंक में

मुख्य घटनाएँ .....	2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ .....	3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ .....	3
विनियामक के कथन .....	4
आर्थिक संवेष्टन .....	4
विदेशी मुद्रा .....	5
शब्दावली .....	5
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी .....	6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियाँ .....	6
संस्थान समाचार .....	7
नयी पहलकदमी .....	8
बाजार की खबरें .....	8

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मर्दाने सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मर्दाने में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस समाचार मर्दाने/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

## मुख्य घटनाएँ

**प्रधान मंत्री द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उदघाटन : ये बैंकिंग को दूर-दराज वाले स्थलों तक ले जाएंगी**

प्रधान मंत्री ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) का प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से उदघाटन किया। उक्त समारोह में वित्त मंत्री एवं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मौजूद रहे।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयां ऐसी विशिष्टीकृत नियत स्थल वाली व्यावसायिक इकाइयां/हब हैं जो डिजिटल बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करने हेतु कुछेक निश्चित न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करती हैं। वे स्वयं सेवा एवं सहायता प्राप्त विधियों (self-service and assisted modes) द्वारा मौजूदा वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को डिजिटल विधि से उपयोगी/व्यवहार्य भी बनाती हैं। डिजिटल बैंकिंग इकाइयां बचत खाता खोलने, खाते में शेषराशि की जांच करने, पासबुक मुद्रित करने, निधियाँ अंतरित करने, मीयादी जमाराशियों में निवेश करने, ऋणों, क्रेडिट कार्डों अथवा डेबिट कार्डों हेतु आवेदन करने तथा बिलों एवं करों का भुगतान करने में सहायता कर सकती हैं।

सार्वजनिक (PSBs) क्षेत्र के 11 बैंकों, निजी क्षेत्र के 12 बैंकों तथा 1 लघु वित्त बैंक (SFB) ने उदघाटन समारोह में भाग लिया।

भारत में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का प्रचुरोद्भवन डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने और साइबर सुरक्षा पर ग्राहक शिक्षण के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य से डिजिटल बैंकिंग को देश के सर्वाधिक दूर-दराज वाले स्थानों तक विस्तारित करने /पहुँचाने में सहायता करने हेतु किया जा रहा है।

**पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को बढ़ाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दक्ष अनुप्रयोग की शुरुआत**

पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को अधिक सुदृढ़, कुशल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्ष नामक एक नयी पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी की शुरुआत कर दी है।

दक्ष अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक संकेंद्रित एवं समाकलित रीति से निगरानी रखने में भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता करने हेतु एक वेब-आधारित, सम्पूर्ण (end to end) कार्यप्रवाह उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं (SEs) में अनुपालन संस्कृति को बढ़ाने के लिए तैयार की गई दक्ष प्रणाली से एक ऐसे मंच/प्लेटफार्म के जरिये सीवन-रहित सम्प्रेषण/संचार, निरीक्षण, आयोजना एवं निष्पादन और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग तथा उनके विश्लेषण, विविध प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टों आदि की व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा जो सर्वदा-सर्वत्र (anytime-anywhere) सुरक्षित पहुँच में समर्थ बनाती है।

**बैंकों को एनसीजीटीसी से प्राप्त दावों की रकम सीआरआर, एसएलआर के भाग के रूप में अनुरक्षित रखने से राहत मिली**

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) से प्राप्त दावों की रकम को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) के परिकलन हेतु मानी जाने से छूट प्रदान कर दी है। इस मुहिम से बैंकों के उधार देने योग्य संसाधनों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।

**भारतीय रिजर्व बैंक ने साख सूचना कंपनियों को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के निदेश दिये**

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी साख सूचना कंपनियों (CICs) को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल (IO) नियुक्त करने के निदेश दिये हैं। उक्त आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम पाँच वर्ष की नियत अवधि हेतु की जानी चाहिए। इस पद के लिए पात्र होने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक निकाय, साख सूचना कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा बैंक में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाला उप महा प्रबन्धक अथवा उसके समकक्ष स्तर वाला कोई सेवानिवृत्त अथवा सेवारत अधिकारी होना चाहिए।

## बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

ऋणदाता के विवरण के अभाव में कार्पोरेटों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एक्सपोजर हेतु जोखिम-भार बढ़ सकता है

उधारकर्ताओं द्वारा बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ECAIs) को अपेक्षित सहमति के अभाव में उनके (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं) द्वारा पर्याप्त संख्या में जारी प्रेस विज्ञप्तियों में ऋणदाता के विवरण का समावेश नहीं होता। इस स्थिति को देखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सलाह दी है कि बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के प्रकटन के बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कार्पोरेटों को प्रदान किए गए श्रेणी-निर्धारणों (ratings) को बैंकों द्वारा पूंजी परिकलन हेतु मान्य नहीं समझा जाएगा। ऐसे एक्सपोजरों को गैर-श्रेणी-निर्धारित माना जाएगा तथा बैंकों द्वारा 100% या 150%, जैसा भी मामला हो, का जोखिम-भार लगाया जाएगा।

विदेशी मुद्रा से संबन्धित समस्त कार्यकलापों की अनुमति देने हेतु एकल आधार वाले प्राथमिक व्यापारियों के कार्य-क्षेत्र व्यापक बनाए गए

एकल आधार वाले (standalone) ऐसे प्राथमिक व्यापारियों (SPDs) जिन्हें अब तक केवल सीमित उद्देश्यों के लिए ही विदेशी मुद्रा व्यवसाय करने की अनुमति थी, को अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय (market making) की सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है। उक्त निर्णय का उद्देश्य ग्राहकों को मुद्रा जोखिम प्रबंधन की अपेक्षाकृत व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, एकल आधार वाले प्राथमिक व्यापारियों को इक्विटी और इक्विटी व्युत्पन्नियों (equity derivatives) के बाजार में स्वामित्वपूर्ण लेनदेन करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों एवं समाशोधन निगमों से क्रय-विक्रय (trading) और स्वतः समाशोधन (self clearing) सदस्यता ग्रहण करने की भी अनुमति होगी। वर्तमान में भारत के पास सात एकल आधार वाले प्राथमिक व्यापारी तथा 14 बैंक प्राथमिक व्यापारी हैं।

बैंकिंग प्रणाली को ऋण चूकों से संरक्षित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों पर आशोधित दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा की विनियम दरों में अत्यधिक अस्थिरता होने की स्थिति में किसी कंपनी/संस्था को होने वाली हानियों से बचाने के लिए अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों (UFCEs) के संबंध में नए सिरे से आशोधित समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। फलतः उन्हें होने वाली इस प्रकार की हानियों की मात्रा बैंकिंग प्रणाली से लिए गए ऋणों के भुगतान में चूक करने पर विवश कर सकती है, इसप्रकार बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। प्रणाली को इन समस्याओं से रोधित करने के उद्देश्य से बैंकों के लिए अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के संबंध में ऐसे समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो 1 जनवरी, 2023 से प्रयोज्य होंगे। इनमें से कुछेक में बैंकों द्वारा परिपक्व हो रही मर्दों अथवा आगामी पाँच वर्षों की अवधि में नकदी प्रवाह रखने वाले बैंकों को संबन्धित कंपनी/संस्था से अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के संबंध में सूचना प्राप्त करके संस्थाओं/कंपनियों के अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों का निर्धारण किया जाना शामिल है।

## बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी की विशेषताओं को प्रकट किया, प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी डिजिटल करेंसी अर्थात डिजिटल रुपए (ईरु) अर्थात केंद्रीय केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी/मुद्रा की विशेषताओं को प्रकट किया है। केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी/मुद्रा (CBDC) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई-आरूप में जारी एक वैध मुद्रा (tender) होगी। इसका मूल्य कागजी (fiat) मुद्रा के जितना ही होगा: यह कागजी मुद्रा से विनिमय होगी; और यह वर्तमान में उपलब्ध होने वाली विविध रूपों वाली मुद्रा को एक अतिरिक्त सुगमता, द्रुतगामिता एवं मितव्ययी विकल्प प्रदान करेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपए - सरकारी प्रतिभूतियों में गौण बाजार के लेनदेनों का निपटान करने हेतु थोक खंड (ई रु-डब्ल्यू) की शुरुआत कर दी है। उक्त प्रयोग में नौ बैंकों ने सहभागिता की। अन्य थोक लेनदेन एवं सीमा-पार वाले भुगतान उक्त प्रायोगिक शुरुआत से शिक्षण का आधार बनेंगे।

इस (ईरु) की शुरुआत से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप से बढ़ावा मिलने; वित्तीय समवेशन में वृद्धि होने तथा मौद्रिक एवं भुगतान प्रणालियों की कार्यकुशलता को अवलंब प्राप्त होने की आशा की जाती है।

## विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अविनियमित वित्तीय संस्थाओं के पिछले दरवाजे से प्रवेश के विरुद्ध चेतावनी दी

भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपालों के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने वित्तीय संस्थाओं को उस प्रौद्योगिकी की विपरीत दिशा के बारे में चेतावनी दी जिसने अविनियमित संस्थाओं के लिए वित्तीय अंतराल में प्रवेश करना आसान बना दिया है। चूंकि ये संस्थाएं मानदंडों का पालन नहीं करतीं, वे न्यूनतम या किसी प्रलेखन के बिना ही ऋण प्रदान करती हैं, जिसके बाद त्वरित संवितरण कर दिया जाता है। इससे ग्राहक (विनियमित संस्थाओं की बजाय) उनसे उधार लेने हेतु प्रलोभित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अप-विक्री, ग्राहक की निजता के उल्लंघन, अनुचित रूप से व्यवसाय संचालन, अत्यधिक ऊंची ब्याज दरों तथा अनैतिक ऋण वसूली प्रथाओं जैसी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। गवर्नर ने इस घटना को विनियमित संस्थाओं के लिए एक ऐसे स्पष्ट आह्वान के रूप में निरूपित किया जो उनके लिए ग्राहक सेवा एवं परिवाद निवारण व्यवस्था/तंत्र का गंभीरतापूर्वक पुनरीक्षण करना आवश्यक बना देता है, ताकि परिवादों के बने रहने के मूल कारण/कारणों का विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

**12वें आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव का भाषण : प्रौद्योगिकी एवं ग्राहक संरक्षण के बीच संतुलन**

12वें आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव ने कहा कि वित्तीय सेवाओं में प्रौद्योगिकी समर्थित नवोन्मेष पारंपरिक बैंकिंग के लिए एक महान विघटनकारी तत्व रहा है। उधारदायी व्यवस्था के वैकल्पिक माडेलों के कारण बाजार की गतिशीलताओं में रूपान्तरण हो रहा है, जो पारंपरिक मध्यवर्तियों (intermediaries) की भूमिका को भी प्रभावित कर रहे हैं। जहां बैंकों को अल्प लागत वाली जमाराशियों से लाभ होते हैं, वहीं फिंटेक फ़र्मों ऋण-पात्रता एवं ऐसे ही अन्य कारकों का मूल्यांकन करने हेतु कई प्रकार के आंकड़ों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी से लाभ उठा सकती हैं। विनियामक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधार देने के पारंपरिक साधनों पर अनधिकृत कब्जा जारी है विनियामक फिंटेक-प्रेरित नवोन्मेषो को प्रोत्साहित करने के प्रति अधिक रुचि नहीं प्रदर्शित करते। इसप्रकार की अभिवृत्तियाँ संतुलन को अनुचित रूप से बैंकों के पक्ष में झुका देती हैं, किन्तु यह सही प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है।

पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिक उन्नतियाँ छोटी, परिमित मात्रा में इसप्रकार की जानी आवश्यक हैं कि वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिक नवोन्मेषो द्वारा समर्पित गति की सही मात्रा के साथ

स्थिर रूप से विकसित हो। अतएव, विनियामक यह अपेक्षा करते हैं कि पारंपरिक बैंकों और नयी फिंटेक संस्थाओं के बीच भागीदारी का स्वरूप सहजीवी (symbiotic) के रूप में विकसित हो।

## आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई सितम्बर, 2022 की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- खाद्येतर वृद्धि मार्च, 2022 के 8.7 % से लगभग दोगुनी बढ़कर सितम्बर, 2022 में 16.4% हो गई।
- विनिर्माण क्षेत्र का कार्य-निष्पादन दर्शाने वाला पीएमआई विनिर्माण सितम्बर, 2022 में 55.1 % के स्तर पर रहते हुये विस्तारवादी क्षेत्र में बना रहा।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऋण बकाया 6.38% की वृद्धि दर्ज करते हुये सितंबर, 2020 के 4.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अगस्त, 2022 में 7.8 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) घटकर 12.4% रह गई तथा खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) वित्त वर्ष 2022-23 की 2री तिमाही में 7 प्रतिशत से थोड़ी अधिक रही।

- अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह 2021-22 के 13.1 बिलियन अमरीकी डालर के समक्ष वर्तमान वर्ष में 18.8 बिलियन अमरीकी डालर रहा।
- एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) प्लेटफार्म पर सितंबर में 6.8 बिलियन के लेनदेन दर्ज हुये जिनकी रकम 11.17 ट्रिलियन रुपए रही। यह मासानुमास (MoM) आधार पर परिमाण एवं मूल्य की दृष्टि से 3.05 प्रतिशत और 4.06 प्रतिशत अधिक है।
- अगस्त, 2022 तक सकल कर राजस्व में 18.7 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज हुई।
- सितंबर, 2022 में माल और सेवा कर (GST) वसूलियों में 25.6 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज हुई।
- अप्रैल-अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 7.7 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज हुई।

## विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	28 अक्टूबर, 2022 के दिन करोड रुपए	28 अक्टूबर, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4379715	531081
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	3883007	470847
1.2 सोना	311419	37762
1.3 विशेष आहरण अधिकार	145348	17625
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	39940	4847

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

नवम्बर, 2022 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
स्वीडिश क्रोन	1.640
सिंगापुर डालर	2.9027
हांगकांग डालर	2.00561
म्यामार रुपया	2.50
डैनिश क्रोन	0.6100

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	3.04
जीबीपी	2.1852
यूरो	0.657
जापानी येन	-0.056
कनाडाई डालर	3.7500

मुद्रा	दरें
आस्ट्रेलियाई डालर	2.60
स्विस फ्रैंक	0.453023
न्यूजीलैंड डालर	3.5

स्रोत: www.fbil.org.in

## शब्दावली

अप्रतिभूत/बचाव व्यवस्था-रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (UFCE)

अप्रतिभूत/बचाव व्यवस्था-रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (UFCE) से अभिप्राय होगा उन मदों को छोड़कर जो एक-दूसरे की प्रभावी

बचाव व्यवस्थाएं (hedges) हैं, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर। किसी कंपनी/संस्था की अप्रतिभूत/बचाव व्यवस्था-रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (UFCE) का अनुमान लगाते समय बैंकों को केवल दो प्रकार की बचाव व्यवस्थाओं/प्रतिभूतियों पर विचार करना चाहिए- वित्तीय बचाव व्यवस्था/प्रतिभूति और प्राकृतिक बचाव व्यवस्था/प्रतिभूति।

## वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

### लाभ की सीमा लो (Take Profit Limit)

लाभ लो/(T/P) आदेश ऐसे सीमा आदेश होते हैं जो एक निर्धारित लाभ स्तर पर पहुँचने के बाद बंद/समाप्त हो जाते हैं। लाभ लो (T/P) आदेश या तो मूलभूत या फिर तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हुये दिये जाते हैं। लाभ लो (Take Profit) आदेश प्रतिभूति की लागतों में त्वरित उभार से लाभ अर्जित करने में रुचि रखने वाले अल्पावधिक व्यापारियों के लिए लाभदायक होते हैं।

## संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

### नवंबर, 2022 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा - ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर अपराधों की रोकथाम	9 से 10 नवंबर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
आंतरिक लेखा-परीक्षक	9 से 10 नवंबर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
कृषि वित्तीयन	9 से 11 नवंबर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
डिजिटल रूपान्तरण, उभरती प्रौद्योगिकियाँ तथा बैंकिंग एवं वित्त में डेटा विश्लेषण का उपयोग	9 से 11 नवंबर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों/कारपोरेट ग्राहकों की वित्तीय स्थिति पर इंड एस (Ind AS) के निहितार्थ	14 से 15 नवंबर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकिंग अनुपालन	14 से 16 नवंबर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
व्यापक ऋण प्रबंधन	16 से 19 नवंबर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के विधि अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	16 से 19 नवंबर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सतर्कता अधिकारियों के लिए सरकता के परिचालनात्मक पहलू	18 से 19 नवम्बर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित

## संस्थान समाचार

21 अक्टूबर, 2022 को 12वां आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान

संस्थान ने 12वें आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान का आयोजन 21 अक्टूबर, 2022 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट,

मुंबई में किया था। इस बार उक्त व्याख्यान भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा “रिफ्लेक्टिंग आन प्वालिसी च्वायसेस फार इंडियन फाइनेंसियल सिस्टम” (Reflecting on policy choices for Indian financial system) विषय पर दिया गया। इस व्याख्यान में काफी बड़ी संख्या में बैंकरों एवं शिक्षाविदों ने भाग लिया। उक्त व्याख्यान का सीधा प्रसारण संस्थान की फेसबुक के पृष्ठ और यूट्यूब चैनल पर किया गया तथा इसे 300 से अधिक दर्शकों द्वारा देखा गया।

### आईआईबीएफ की 2री राष्ट्रीय अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता “बैंकिंग चाणक्य” का समापन सत्र (Finale)

संस्थान ने 2री राष्ट्रीय अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता के शानदार समापन सत्र का आयोजन 5 नवंबर, 2022 को संस्थान के मुंबई स्थित कारपोरेट कार्यालय में किया। इस प्रश्नमंच प्रतियोगिता का विजेता 100,000 रुपए के नकद पुरस्कार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिण अंचल रहा तथा इस प्रतियोगिता का 1ला उप-विजेता था उत्तर अंचल से बंदोड़ा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जिसे 75,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस समारोह में बैंकरों और शिक्षाविदों की अच्छी-खासी उपस्थिति रही।

### आईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरुआत

संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन विषयों, परीक्षा के प्रतिमान, विषयों के लिए उपलब्ध होने वाले सम्मान/रुतबों, उत्तीर्णन हेतु समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर डाली गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.iibf.org.in](http://www.iibf.org.in) देखें।

### आत्म-संगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के उत्तीर्णन मानदंड में संशोधन

डिजिटल बैंकिंग एवं बैंकिंग में आचारशास्त्र में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए आत्म-संगामी ई-शिक्षण विधि के अधीन अंतिम मूल्यांकन/परीक्षा हेतु उत्तीर्णन अंकों को 70% से संशोधित करके 60% कर दिया गया है। यह 1 मार्च, 2022 को या उसके बाद आत्म-संगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रभावी होगा।

### प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities Markets) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से 11 फरवरी, 2022 को प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रौद्योगिकीय विधि से शुरुआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। यह 9 महीनों की अवधि में पूरा किए जाने वाला 187 घंटों का एक ई-शिक्षण कार्यक्रम है। उदघाटन भाषण संबन्धित संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा दिये गए तथा विशेष व्याख्यान भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी द्वारा दिये गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालयों और बैंकरों की अच्छी-खासी संख्या में उपस्थिति रही।

### सब के लिए ई-शिक्षण

संस्थान ने सब के लिए ई-शिक्षण की शुरुआत की है जिसमें कोई भी व्यक्ति, उसकी सदस्यता की स्थिति/हैसियत अथवा परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति/हैसियत चाहे जैसी भी हो, संस्थान द्वारा बैंकिंग एवं वित्त पर तैयार किए गए विविध सम-सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण माँड्यूल तक पहुँच सकता है। अधिक विवरण के लिए [www.iibf.org.in](http://www.iibf.org.in) देखें।

## आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के अक्टूबर - दिसंबर, 2022 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: Growing importance of co-lending in Financial Intermediation

## परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार

किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि


(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।


## नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

## बाजार की खबरें



स्रोत: एफबीआईएल




स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998




स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्टूबर, 2022




स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक




स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्टूबर, 2022



स्रोत : गोल्ड प्राइस इंडिया



स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय



स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE)

**Printed by Biswa Ketan Das, Published by Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and printed at Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and published at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kiroi Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.**  
**Editor : Biswa Ketan Das**

**INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE**  
 Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kiroi Road, Kurla (W),  
 Mumbai - 400 070.  
 Tel. : 91-22-6850 7000  
 E-mail : admin@iibf.org.in  
 Website : www.iibf.org.in